



# म.प्र. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल

मध्यप्रदेश शासन

M.P. PRIVATE UNIVERSITY REGULATORY COMMISSION, BHOPAL

Government of Madhya Pradesh

क्र.

1893

क्रमांक...../म.प्र.नि.वि.वि.आयोग,भोपाल/अका-1/2024-25

दिनांक 4.12.25

// आदेश //

मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2007 यथासंशोधित 2013 एवं 2016 की धारा 9(ख) में विनिर्दिष्ट प्रावधानों के अंतर्गत गठित की गई निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन के आधार पर आयोग की 196 वीं बैठक दिनांक 19/06/2025 में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम विश्वविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.) के अंतर्गत नवीन एवं पूर्व से संचालित पाठ्यक्रमों में सीट संख्या में वृद्धि कर शैक्षणिक सत्र 2024-25 सतालिका में दर्शित सीट संख्या के अनुसार संचालन करने की सशर्त एवं प्रावधिक कार्योत्तर अनुमति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :-

क्र.	विभाग का नाम	संकाय	पाठ्यक्रम का नाम	वर्तमान में स्वीकृत सीट संख्या (धारा 9 बी अनुसार)	प्रस्तावित नवीन सीट संख्या (नवीन पाठ्यक्रम संचालन हेतु)	स्वीकृत कुल सीट संख्या	संबंधित विनियामक परिषद का आदेश तथा दिनांक	प्रकाशित अध्यादेश क्रमांक
1	College of Pharmacy	Pharmacy	B. Pharma	60	40	100	PCI-2941 Date- 24.09.2024	13
			M. Pharma (Pharmaceutics)	09	06	15		16
			M. Pharma (Pharmaceutica Quality Assu.)	-	15	15		
			M. Pharma (Pharmacology)	-	15	15		
2	Institute of Pharmacy	Pharmacy	M. Pharma (Pharmacognisy)	-	15	15	PCI-2955 Date- 01.10.2024	13
			B. Pharmacy	60	40	100		
3	School of Pharmacy	Pharmacy	M. Pharmacy (Pharmaceutica Quality Assu.)	09	06	15	PCI-3119 Date- 01.10.2024	16
			M. Pharma (Pharmaceutics)	09	06	15		
			B. Pharma	60	40	100		13

शर्त :-

- उपरोक्त पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु यू.जी.सी. एवं अन्य संबंधित विनियामक परिषदों के मापदंडों के अनुसार अनिवार्य रूप से अनुमति प्राप्त होने की शर्त पर उपरोक्त पाठ्यक्रमों को संचालित करने की अनुमति प्रदान की जाती है।
- उपरोक्त पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु यू.जी.सी. एवं अन्य संबंधित विनियामक परिषदों के मापदंडों के अनुसार शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति एवं अन्य मापदंडों का पालन सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य होगा।
- उपरोक्त पाठ्यक्रमों में विद्यार्थियों के प्रवेश संबंधित विनियामक परिषदों के मापदंडों के अनुसार दिये जायेंगे।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित की गई गाईड लाईन/मापदंडों का पालन सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य होगा।
- विश्वविद्यालय को उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र. शासन एवं म.प्र.नि.वि.वि. आयोग के द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करना होगा।

निरंतर.....2

6. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली से निरीक्षण कराना अनिवार्य होगा तथा नेक प्रत्यायन एवं मूल्यांकन अनिवार्यतः कराना होगा।
7. व्यवसायिक पाठ्यक्रमों हेतु मानक एजेंसियों से ग्रेडिंग/मूल्यांकन आवश्यक रूप से प्राप्त करना होगा तथा पाठ्यक्रमों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु रैंकिंग संस्था/एजेंसियों के मापदण्डों की पूर्ति करना होगा।
8. यू.जी.सी. के प्रावधानानुसार पाठ्यक्रमों में प्रवेशित विद्यार्थियों का डिप्लोमा, डिग्री एवं अन्य शैक्षणिक प्रमाण पत्रों का डिजिटल रिकार्ड (एन.ए.डी.) संधारित करना होगा।
9. पाठ्यक्रमों के संचालन में किसी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर एवं निरीक्षण के दौरान किसी प्रकार की न्यूनता पाये जाने पर नियमानुसार अनुमति निरस्त की जावेगी।  
(मा. अध्यक्ष महो. द्वारा अनुमोदित)

*(Handwritten Signature)*

(सुनील खरे)

प्रबंधक, वित्त एवं प्रशासन  
म०प्र०नि०वि०वि०वि०आयोग, भोपाल  
दिनांक /07/2025

पृष्ठांकन...../ म.प्र.नि.वि.वि.वि.आयोग,भोपाल/अका-1/2024-25  
प्रतिलिपि-

1. निज सहायक के माध्यम से मा. अध्यक्ष महो, म.प्र. नि.वि.वि.वि.आयोग,भोपाल।
2. कुलसचिव, डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम विश्वविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. प्रभारी आई.टी. प्रकोष्ठ, म.प्र. नि.वि.वि.वि.आयोग की ओर सूचनार्थ।
4. प्रभारी छात्रवृत्ति प्रकोष्ठ, म.प्र. नि.वि.वि.वि.आयोग की ओर सूचनार्थ।
5. प्रभारी शुल्क नियतन प्रकोष्ठ, म.प्र. नि.वि.वि.वि.आयोग की ओर सूचनार्थ।
6. मूल नस्ती।

प्रबंधक, वित्त एवं प्रशासन  
म०प्र०नि०वि०वि०वि०आयोग, भोपाल

*(Handwritten Signature)*



# म.प्र. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल

मध्यप्रदेश शासन

M.P. PRIVATE UNIVERSITY REGULATORY COMMISSION, BHOPAL  
Government of Madhya Pradesh

क्र.

1583

क्रमांक...../म.प्र.नि.वि.वि.आयोग,भोपाल/अका-1/2024-25

दिनांक 27/6/24

//आदेश//

मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2007 यथासंशोधित 2013 एवं 2016 की धारा 9(ख) में विनिर्दिष्ट प्रावधानों के अंतर्गत गठित की गई निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन के आधार पर आयोग की 191 वीं बैठक दिनांक 13/06/2024 में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम विश्वविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.) के अंतर्गत पूर्व से संचालित पाठ्यक्रम में सीट संख्या में वृद्धि कर शैक्षणिक सत्र 2023-24 से तालिका में दर्शित सीट संख्या के अनुसार संचालन करने की कार्योत्तर एवं प्रावधिक अनुमति निम्न शर्तों के अधधीन प्रदान की जाती है :-

क्र.	संकाय	पाठ्यक्रम का नाम	वर्तमान में स्वीकृत सीट संख्या (धारा 9 'ख' अनुसार)	प्रस्तावित नवीन/वृद्धि सीट संख्या	स्वीकृत कुल सीट संख्या	संबंधित विनियामक परिषद का आदेश तथा दिनांक	प्रकाशित अध्यादेश क्रमांक
1.	Faculty of Ayurveda	Bachelor of Ayurvedic Medicine and Surgery (B.A.M.S.)	60	40	100	Ref. No. 3-4/MARB/2022-Ay(55) Date-21-08-2023	25

शर्त :-


- उपरोक्त पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु यू.जी.सी. एवं अन्य संबंधित विनियामक परिषदों के मापदंडों के अनुसार अनिवार्य रूप से अनुमति प्राप्त होने की शर्त पर उपरोक्त पाठ्यक्रमों को संचालित करने की अनुमति प्रदान की जाती है।
- उपरोक्त पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु यू.जी.सी. एवं अन्य संबंधित विनियामक परिषदों मापदंडों के अनुसार शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति सुनिश्चित की जाना अनिवार्य होगा।
- उपरोक्त पाठ्यक्रमों में विद्यार्थियों के प्रवेश संबंधित विनियामक परिषदों के मापदंडों के अनुसार दिये जायेंगे।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित की गई गाईड लाईन/मापदंडों का पालन सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य होगा।
- विश्वविद्यालय को उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र. शासन एवं म.प्र.नि.वि.वि. आयोग के द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करना होगा।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली से निरीक्षण कराना अनिवार्य होगा तथा नेक प्रत्यायन एवं मूल्यांकन अनिवार्यतः कराना होगा।
- व्यवसायिक पाठ्यक्रमों हेतु मानक एजेंसियों से ग्रेडिंग/मूल्यांकन आवश्यक रूप से प्राप्त करना होगा तथा पाठ्यक्रमों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु रेंकिंग संस्था/एजेंसियों के मापदंडों की पूर्ति करना होगा।

निरंतर...2

(2)

8. यू.जी.सी. के प्रावधानानुसार पाठ्यक्रमों में प्रवेशित विद्यार्थियों का डिप्लोमा, डिग्री एवं अन्य शैक्षणिक प्रमाण पत्रों का डिजिटल रिकार्ड (एन.ए.डी.) संधारित करना होगा।
9. पाठ्यक्रमों के संचालन में किसी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर एवं निरीक्षण के दौरान किसी प्रकार की न्यूनता पाये जाने पर नियमानुसार अनुमति निरस्त की जावेगी।

(मा. अध्यक्ष महो. द्वारा अनुमोदित)

  
(सुनील खरे)

प्रबंधक, वित्त एवं प्रशासन  
म०प्र०नि०वि०वि०वि०आयोग, भोपाल

दिनांक /06/2024

पृष्ठांकन...../ म.प्र.नि.वि.वि.वि.आयोग,भोपाल/अका-1/2024-25

प्रतिलिपि-

1. निज सहायक के माध्यम से मा. अध्यक्ष महो, म.प्र. नि.वि.वि.वि.आयोग,भोपाल।
2. कुलसचिव, डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम विश्वविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. प्रभारी आई.टी. प्रकोष्ठ, म.प्र. नि.वि.वि.वि.आयोग की ओर सूचनार्थ।
4. प्रभारी छात्रवृत्ति प्रकोष्ठ, म.प्र. नि.वि.वि.वि.आयोग की ओर सूचनार्थ।
5. प्रभारी शुल्क नियतन प्रकोष्ठ, म.प्र. नि.वि.वि.वि.आयोग की ओर सूचनार्थ।
6. मूल नस्ती।

प्रबंधक, वित्त एवं प्रशासन  
म०प्र०नि०वि०वि०वि०आयोग, भोपाल



# म.प्र. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल

मध्यप्रदेश शासन

M.P. PRIVATE UNIVERSITY REGULATORY COMMISSION, BHOPAL  
Government of Madhya Pradesh

/स्थापना/म.प्र.नि.वि.वि.वि.आयोग/भोपाल

//आदेश//

07/01/22

क्र. 1514

मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2007 यथासंशोधित 2013 एवं 2016 की धारा 9(ख) में विनिर्दिष्ट प्रावधानों के अंतर्गत गठित निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन के आधार पर आयोग की 177 वीं सभा की बैठक दिनांक 18.08.2022 में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में डॉ. ए.पी.जे.अब्दुल कलाम विश्वविद्यालय, इन्दौर के मुख्य परिसर में स्थित आयुर्वेद संकाय के अंतर्गत बी.ए.एम.एस. पाठ्यक्रम पाठ्यक्रम को शैक्षणिक सत्र 2021-22 से तालिका में दर्शित सीट संख्या के अनुसार आगामी शैक्षणिक सत्र से संचालन करने की अनुमति निम्न शर्तों के अधधीन प्रदान की जाती है।

क्रं.	पाठ्यक्रम का नाम	स्वीकृत सीट संख्या	संबंधित परिषद की अनुमति का आदेश क्रमांक
1.	BAMS	60	Ref.No.3-4/2021-Ay(55)दिनांक 11.02.2022

शर्तें:-

1. संबंधित परीषदों से अनिवार्य रूप से अनुमति प्राप्त होने की शर्त पर उपरोक्त पाठ्यक्रम को संचालित करने की अनुमति प्रदान की जाती है।
2. उपरोक्त पाठ्यक्रम के संचालन हेतु यू.जी.सी. एवं संबंधित परीषदों के मापदंडों के अनुसार शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य होगा।
3. उपरोक्त पाठ्यक्रम में विद्यार्थियों के प्रवेश हेतु संबंधित परीषदों की गाईडलाईन के अनुसार दिये जायेंगे।
4. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा संबंधित परीषदों से निर्धारित की गई गाईडलाईन/मापदंडों का पालन सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य होगा।
5. विश्वविद्यालय को उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र. शासन एवं म.प्र. नि.वि.वि.वि.आयोग, भोपाल के द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करना होगा।
6. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली से निरीक्षण कराना अनिवार्य होगा तथा नेक प्रत्यायन एवं मूल्यांकन अनिवार्यतः कराना होगा।
7. व्यवसायिक पाठ्यक्रमों हेतु मानक परिषदों से ग्रेडिंग/मूल्यांकन आवश्यक रूप से प्राप्त कराना होगा।
8. यू.जी.सी. के प्रावधानानुसार पाठ्यक्रमों में प्रवेशित मूल्यांकन विद्यार्थियों का डिप्लोमा, डिग्री एवं अन्य शैक्षणिक प्रमाण पत्रों का डिजिटल रिकार्ड (एन.ए.डी.) संधारित कराना होगा।
9. पाठ्यक्रमों के संचालन में किसी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर एवं निरीक्षण के दौरान किसी प्रकार की गंभीर न्यूनता पाये जाने पर नियमानुसार अनुमति निरस्त की जावेगी।

(मा.अध्यक्ष महो. द्वारा अनुमोदित)

(डां. के.पी. साहू)  
सचिव

म.प्र. नि.वि.वि.वि.आयोग, भोपाल

पृ.क्रमांक...../स्थापना/म.प्र.नि.वि.वि.वि.आयोग/2021-22भोपाल  
प्रतिलिपि-

1. निजी सहायक के माध्यम से अध्यक्ष, म.प्र.नि.वि.वि.वि.आयोग की ओर सूचनार्थ।
2. कुलसचिव, डॉ. ए.पी.जे.अब्दुल कलाम विश्वविद्यालय, इन्दौर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. प्रभारी आई.टी. प्रकोष्ठ, म.प्र. नि.वि.वि.वि.आयोग, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
4. प्रभारी छात्रवृत्ति प्रकोष्ठ, म.प्र. नि.वि.वि.वि.आयोग, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
5. प्रभारी शुल्क नियतन प्रकोष्ठ, म.प्र. नि.वि.वि.वि.आयोग, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
6. मूल नस्ति।
7. गार्ड फाइल।

सचिव

म.प्र. नि.वि.वि.वि.आयोग, भोपाल



म.प्र. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल  
मध्यप्रदेश शासन  
M.P. PRIVATE UNIVERSITY REGULATORY COMMISSION, BHOPAL.  
Government of Madhya Pradesh

क्र. कमांक...../म.प्र.न.वि.वि.आयोग/स्थापना/भोपाल

दिनांक: /01/2021

दिनांक .....

// आदेश //

मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2007 यथासंशोधित 2013 एवं 2016 की धारा 9(ख) में विनिर्दिष्ट प्रावधानों के अंतर्गत गठित निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन के आधार पर आयोग की 164 वीं सभा की बैठक दिनांक 23/12/2020 के एजेण्डा कमांक (164)-6 में लिये गये निर्णय के अनुक्रम डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम विश्वविद्यालय, इंदौर के मुख्य परिसर में स्थित शैक्षणिक विभागों में निम्नलिखित तालिका में दर्शित पाठ्यक्रमों को उनके नाम के सम्मुख दर्शित सीट संख्या अनुसार शैक्षणिक सत्र 2020-21 से संचालन करने की अनुमति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है।

S.No	Course	Intake	Ordinance No.	संबंधित विनियामक परिषद एवं उसकी अनुमति का आदेश कमांक
1	B.Arch	40	27	Council of Architecture का पत्र क. CA/5/Academic-APP/N/MP/2019/1951-MP-15, दिनांक 7/06/2019 अवधि 2019-2020 एवं पत्र दिनांक 25/06/2020 अवधि 2020-2021
	LLB	60	29	BCI का पत्र क. 523, दिनांक 5/07/2019 अवधि 2019-2020 एवं 2020-2021
3	BA LLB (Hons.)	60	47	BCI का पत्र क. 523, दिनांक 5/07/2019 अवधि 2019-2020 एवं 2020-2021
4	BHMS	100	20	CCIM का पत्र दिनांक 18/09/2019 अवधि 2019-2020 तथा सत्र 2020-2021 की मान्यता हेतु विश्वविद्यालय द्वारा आयुष मंत्रालय भारत सरकार के समक्ष आवेदन किया गया है।
5	D Pharma	60	18	PCI का पत्र दिनांक 10/04/2020 अवधि 2019-2020 एवं 2020-2021

शर्त :-

1. संबंधित विनियामक परिषदों से अनिवार्य रूप से अनुमति प्राप्त होने की शर्त पर उपरोक्त पाठ्यक्रमों को संचालित करने की अनुमति प्रदान की जाती है।
2. उपरोक्त पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु यू.जी.सी. एवं संबंधित विनियामक परिषदों के मापदण्डों के अनुसार शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति सुनिश्चित की जाना अनिवार्य होगा।
3. उपरोक्त पाठ्यक्रमों में विद्यार्थियों के प्रवेश संबंधित विनियामक परिषदों की गाईडलाईन के अनुसार दिये जायेंगे।
4. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित की गई गाईडलाईन / मापदण्डों का पालन सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य होगा।
5. विश्वविद्यालय को उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र. शासन एवं म.प्र.नि.वि.वि. आयोग के द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करना होगा।
6. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली से निरीक्षण कराना अनिवार्य होगा तथा नेक प्रत्यायन एवं मूल्यांकन अनिवार्यतः कराना होगा।
7. व्यवसायिक पाठ्यक्रमों हेतु मानक एजेंसियों से ग्रेडिंग/मूल्यांकन आवश्यक रूप से प्राप्त करना होगा तथा पाठ्यक्रमों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु रैंकिंग संस्था / एजेंसियों के मापदण्डों की पूर्ति करना होगा।
8. यू.जी.सी. के प्रावधानानुसार पाठ्यक्रमों में प्रवेशित विद्यार्थियों का डिप्लोमा, डिग्री एवं अन्य शैक्षणिक प्रमाण पत्रों का डिजिटल रिकार्ड (एन.ए.डी.) संधारित करना होगा।
9. पाठ्यक्रमों के संचालन में किसी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर एवं निरीक्षण के दौरान किसी प्रकार की गंभीर न्यूनता पाये जाने पर नियमानुसार अनुमति निरस्त की जावेगी।

निरंतर...2

डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम विश्वविद्यालय, इंदौर द्वारा शैक्षणिक सत्र 2020-21 से प्रारंभ किये जाने वाले पाठ्यक्रमों की अनुमति

नीचे

1. एम.बी.ए पाठ्यक्रम में स्वीकृत सीट संख्या में 120 अतिरिक्त सीटों की वृद्धि के संबंध में औचित्य दर्शाये तथा उपलब्ध अतिरिक्त कक्षाओं की संख्या, शिक्षकों की उपलब्धता, पुस्तकों एवं अन्य आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता के संबंध में सम्पूर्ण विवरण आयोग को उपलब्ध कराये, जिसके पश्चात् आयोग द्वारा अनुमति प्रदान करने के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी।
2. बी.सी.ए पाठ्यक्रम में स्वीकृत सीट संख्या में 120 अतिरिक्त सीटों की वृद्धि के संबंध में औचित्य दर्शाये तथा उपलब्ध अतिरिक्त कक्षाओं की संख्या शिक्षकों की उपलब्धता पुस्तकों एवं अन्य आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता के संबंध में सम्पूर्ण विवरण आयोग को उपलब्ध कराये, जिसके पश्चात् आयोग द्वारा अनुमति प्रदान करने के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी।
3. संबंधित विनियामक परिषदों द्वारा प्रदत्त मान्यता की अवधि समाप्त होने पर संबंधित पाठ्यक्रम की मान्यता के नवीनीकरण हेतु आवेदन अनिवार्य रूप से करना होगा तथा मान्यता /आदेश की प्रति आयोग को उपलब्ध कराना होगी।

(डॉ. के.पी. साहू)


सचिव

म०प्र०नि०वि०वि०वि०आयोग,  
भोपाल

दिनांक 25/01/2021

पृष्ठांकन...163 / म०प्र०नि०वि०वि०आयोग / स्थापना / भोपाल  
प्रतिलिपि-

1. कुलसचिव, डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम विश्वविद्यालय, इंदौर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. अध्यक्ष, म.प्र. नि.वि.वि.वि.आयोग की ओर सूचनार्थ।
3. प्रभारी आई.टी. प्रकोष्ठ, म.प्र. नि.वि.वि.वि.आयोग की ओर सूचनार्थ।
4. प्रभारी छात्रवृत्ति प्रकोष्ठ, म.प्र. नि.वि.वि.वि.आयोग की ओर सूचनार्थ।
5. प्रभारी शुल्क नियतन प्रकोष्ठ, म.प्र. नि.वि.वि.वि.आयोग की ओर सूचनार्थ।
6. मूल नस्ती।



सचिव

म०प्र०नि०वि०वि०वि०आयोग, भोपाल



# मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियम आयोग

(मध्यप्रदेश शासन)

भोपाल (म.प्र.)

क्रमांक...५३...म.प्र.नि.वि.वि.वि.आयोग,भोपाल

दिनांक १५/१/२०१७

//आदेश//

मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2013 की धारा 9(क) में दिये गये प्रावधानों के अध्याधीन गठित निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन तथा आयोग की 97वीं बैठक एजेण्डा क्रमांक 97(6) दिनांक 05/11/2016 से लिए गये निर्णय के आधार पर डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम विश्वविद्यालय, इन्दौर परिसर में प्रस्तावित निम्नलिखित पाठ्यक्रमों को प्रारम्भ करने हेतु अनुज्ञा इस शर्त के अध्याधीन प्रदान की जाती है कि विश्वविद्यालय उपरोक्त पाठ्यक्रमों के संचालन एवं छात्र संख्या वृद्धि में मानक संस्थाओं, केन्द्रीय एवं राज्य शासन एवं मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2007 यथा संशोधित 2013 के प्रावधानों का पूर्ण पालन करेगा :-

### Existing Programmes :

S.No.	Programme	Group	Present intake	New Intake
1	B.Sc.	Physics, Chemistry, Mathematics	60	120
2	B.Sc.	Physics, Mathematics, Computer	60	300
3	B.Sc.	Botany, Chemistry, Pharma Chemistry	60	220
4	B.Com.	Plain	60	120
5	B.Com.	With Computer	60	240
6	BBA		60	180

### New Programmes :

S.No.	Programmes	Group	Intake
1	B.Sc.	Botany, Chemistry, Zoology	180
2	B.Sc.	Agriculture	360
3	B.A.	History, Sociology, Geography	60
4	M.Sc.	Physics	60
5	M.Sc.	Chemistry	60
6	M.Sc.	Mathematics	60
7	M.A.	English	60
8	M.A.	Geography	60
9	M.A.	Sociology	60
10	DCA		240
11	PGDCA		240

पृष्ठांक क्रमांक...५४...म.प्र.नि.वि.वि.वि.आयोग,भोपाल

दिनांक १५/१/२०१७

प्रतिलिपि:-कुलसचिव, डॉ.ए.पी.जे. अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी, इन्दौर-देवास बायपास रोड, अरण्डिया, इन्दौर-452016



# मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग (मध्यप्रदेश शासन) भोपाल (म.प्र.)

क्रमांक...832.....म.प्र.नि.वि.वि.वि.आयोग,भोपाल

दिनांक 27/6/2017

//आदेश//

मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2013 की धारा 9(क) में दिये गये प्रावधानों के अध्याधीन गठित निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन तथा आयोग की 111वीं बैठक एजेण्डा क्रमांक 111(2) दिनांक 24/06/2017 से लिए गये निर्णय के आधार पर डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम विश्वविद्यालय, इन्दौर परिसर में प्रस्तावित निम्नलिखित पाठ्यक्रमों को प्रारम्भ करने हेतु अनुज्ञा इस शर्त के अध्याधीन प्रदान की जाती है कि विश्वविद्यालय उपरोक्त पाठ्यक्रमों के संचालन एवं छात्र संख्या वृद्धि में मानक संस्थाओं, केन्द्रीय एवं राज्य शासन एवं मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2007 यथा संशोधित 2013 के प्रावधानों का पूर्ण पालन करेगा :-

• **New Programmes :**

S.No.	Course	Intake
1	B.Ed.	100
2	M.Sc.Botany	18
3	M.A. Hindi	18
4	M.A. Psychology	18
5	M.A. Political Science	18
6	M.Com Taxation	18
7	Ph.D.	As Per availability of Guide

सदस्य (प्रशासनिक)/ सचिव

पृष्ठांकन क्रमांक...833.....म.प्र.नि.वि.वि.वि.आयोग,भोपाल

दिनांक 27/6/2017

प्रतिलिपि:-कुलसचिव, डॉ.ए.पी.जे. अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी, इन्दौर-देवास बायपास रोड,  
अरण्डिया, इन्दौर-452016

सदस्य (प्रशासनिक)/ सचिव